रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1138] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939
No. 1138] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

संख्या 5 /2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 और परिशिष्ट 3 की तालिका क में किया गया संशोधन।

का.आ. 1285(अ.).—यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 और धारा 14क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना सं. 38 (आरई–2010)/2009–14 दिनांक 31 मार्च 2011, अधिसूचना सं. 93 (आरई 2012)/2009–14 दिनांक 06 जनवरी, 2012, अधिसूचना सं. 37 (आरई 2012)/2009–14 दिनांक 14 मार्च, 2013, अधिसूचना सं. 26 (आरई 2013)/2009–14 दिनांक 03 जुलाई, 2013, अधिसूचना सं. 56 (आरई 2013)/2009–14 दिनांक 12 दिसम्बर, 2013, अधिसूचना सं. 115 (आरई 2013)/2009–14 दिनांक 13 मार्च, 2015, अधिसूचना सं. 116 (आरई 2013)/2009–14 दिनांक 13 मार्च, 2015, अधिसूचना सं. 05/(2015–2020) दिनांक 29 अप्रैल, 2016 और अधिसूचना सं. 38/(2015–2020) दिनांक 17 फरवरी, 2017 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व अधिनियमों को छोड़कर केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 और परिशिष्ट 3 की तालिका क में निम्नलिखित संशोधन करती है। आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण 2012 की अनुसूची 2 के मौजूदा परिशिष्ट 3 को इस अधिसूचना का अनुलग्नक प्रतिस्थापित करेगा।

2. आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 की तालिका क की क्रम सं. 4 और 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के एक से अधिक अध्याय में आने वाली वस्तुएं

"4	–	–	–	–
5	कोई अध्याय	इस अनुसूची के परिशिष्ट 3 में यथा विनिर्दिष्ट विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां उपकरण और प्रौद्योगिकियां (स्कोमेट) मदें	निषिद्ध/ प्रतिबंधित	(क) निर्यात को इस अनुसूची के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार संचालित किया जाएगा। (ख) स्कोमेट सूची की श्रेणी 0 में विनिर्दिष्ट मदों का निर्यात यथा संशोधित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के मौजूदा प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के तहत जारी नियम, विनियमों, दिशानिर्देशों और संकल्पों के

				अनुसार संचालित किया जाता है। जब तक अन्यथा निषिद्ध न हो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात अनुमत किया जा सकता है। (ग) स्कोमेट सूची की ''पण्य पहचान टिप्पणी'' की टिप्पणी–2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों का निर्यात परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदान किए प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत किया जाएगा। (घ) स्कोमेट सूची (युद्ध सामग्री सूची) की श्रेणी 6 में विनिर्दिष्ट मदों (स्कोमेट सूची की पण्य पहचान टिप्पणी के टिप्पण–2 और 3 के अंतर्गत आने वाली मदों को छोड़कर) का निर्यात रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी मौजूदा मानक प्रचालन प्रक्रिया के तहत संचालित किया जाता है। जब तक अन्यथा निषिद्ध न हो निर्यात को रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के मद्दे अनुमत किया जा सकता है। (ड.) स्कोमेट सूची की श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 में विनिर्दिष्ट मदों का निर्यात यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत जारी अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सूचनाओं तथा परिपत्रों द्वारा संचालित किया जाता है। जब तक अन्यथा निसिद्ध न हो (स्कोमेट सूची की पण्य पहचान टिप्पणी की टिप्पणी–4 के अंतर्गत आने वाली मदों सहित) ऐसी मदों का निर्यात डीजीएफटी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के मद्दे अनुमत किया जा सकता है।

3. आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण 2012 की अनुसूची–2 के 'परिशिष्ट 3' में विनिर्दिष्ट वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों अर्थात विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) की सूची शामिल है। इस अधिसूचना के अनुलग्नक में संशोधित 'परिशिष्ट 3' शामिल है तथा यह डीजीएफटी की वेबसाइट www.dgft.gov.in पर भी उपलब्ध है।

स्कोमेट श्रेणियां जिनमें संशोधन किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:–

(क) स्कोमेट श्रेणी 6 जिसका शीर्षक 'युद्ध सामग्री सूची' है जो अभी तक 'आरक्षित' थी उसे सूचीबद्ध किया गया है। अधिसूचना सं0 115 (आरई 2013)/2009–14 दिनांक 13 मार्च, 2015 के तहत अधिसूचित सैन्य भंडार सूची को निरस्त किया जाता है।

(ख) नई स्कोमेट श्रेणी 8 जिसका शीर्षक ''विशेष सामग्रियां तथा संबंधित उपस्कर, सामग्री संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार, सूचना सुरक्षा, सैंसर्स और लैजर्स, नौवहन एवं वैमानिकी, समुद्री, एयरोस्पेस एंड प्रोपल्शन'' है, को जोड़ा गया है।

(ग) स्कोमेट श्रेणी 1ख और 1ग में संशोधन किए गए हैं। स्कोमेट श्रेणी 1घ जिसका शीर्षक 'अन्य रसायन' है, को जोड़ा गया है।

(घ) स्कोमेट श्रेणी 2 को संशोधित और नई प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया गया है।

(ड.) स्कोमेट श्रेणियां 3घ001 से 3घ005 को 3घ001 से 3घ015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(च) श्रेणियों 3क201, 3क303, 3क309, 4क003, 4क007, 4क017, 4ख006, 5क102, 5क205 को संशोधित और नई प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया गया है।

(छ) स्कोमेट श्रेणी 7ग को हटा दिया गया है।

4. यह अधिसूचना 01 मई, 2017 से लागू होगी।

5. **इस अधिसूचना का प्रभावः** इस अधिसूचना के अनुलग्नक में आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण अनुसूची 2 का संशोधित 'परिशिष्ट 3' शामिल है जो मौजूदा परिशिष्ट–3 को प्रतिस्थापित करेगा। इस अधिसूचना के तहत स्कोमेट सूची को अद्यतन किया गया है तथा स्कोमेट सूची की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाइसेंस अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जा रहा है।

[फा. सं. 01/91/171/37/एएम–10/ईसी(एस)]

अजय कुमार भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

No. 5 /2015-2020

Subject: Amendment in Table A of Schedule 2 and Appendix 3 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items

S.O. 1285(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended, and in supersession of DGFT Notification No. 38 (RE-2010) /2009-2014 dated 31st March, 2011, Notification no. 93(RE-2012)/2009-14 dated 6th January 2012, Notification No. 37(RE-2012)/2009-14 dated 14th March 2013, Notification no. 26(RE-2013)/2009-14 dated 3rd July 2013, Notification No. 56 (RE-2013)/2009-2014 dated 12th December 2013, Notification no. 115 (RE-2013)/2009-2014 dated 13th March 2015, Notification No. 116(RE-2013)/2009-14 dated 13th March 2015, Notification No. 05/(2015-2020) dated 29th April 2016 and Notification no. 38/(2015-2020) dated 17th February 2017, except as respects acts done before such supersession, the Central Government hereby makes the following amendments in Table A of Schedule 2 and Appendix 3 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items. Annexure to this notification will replace the existing 'Appendix 3' to Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2012.

2. Serial No. (S. No.) 4 and 5 of the Table A of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items is substituted as under:—

Goods falling in more than one Chapter of ITC (HS) Classification

"4	-	-	-	-
5	Any chapter	Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment & Technologies (SCOMET) items as specified in Appendix-3 of this Schedule.	Prohibited/ Restricted	a. Exports would be governed as per the conditions indicated in Appendix-3 of this Schedule. b. Export of items specified in Category 0 of the SCOMET list is governed by the extant provisions of the Atomic Energy Act 1962 as amended and rules, regulations, guidelines and resolutions issued under the said Act. Unless otherwise prohibited, export may be permitted against an authorization granted by the Department of Atomic Energy. c. Export of items specified under the Note 2 of the 'Commodity Identification Note' of the SCOMET list would be permitted against an authorization granted by the Department of Atomic Energy. d. Export of items specified in Category 6 of SCOMET list (Munitions List), (except those covered under Note 2 and 3 of Commodity Identification Note of the SCOMET list) is governed by the extant Standard Operating Procedure issued by the Department of Defence Production in the Ministry of Defence. Unless prohibited, export may be permitted against an authorization issued by the Department of Defence Production.

				e. Export of items specified in Categories 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8 of the SCOMET list is governed by the notifications, public notices and circulars issued under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 as amended. Unless otherwise prohibited (including the items covered under Note 4 of the Commodity Identification Note of the SCOMET list), export of such items may be permitted against an authorization issued by the DGFT. ”

3. ‘Appendix 3’ to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2012 contains the list of specified goods, services and technologies, i.e. Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET). **Annexure** to this notification contains the revised ‘Appendix 3’ and the same is also available in the DGFT’s website www.dgft.gov.in.

SCOMET Categories in which amendments have been made are as follows:-

a) SCOMET Category 6 titled ‘Munitions List’ that was hitherto ‘Reserved’ has been populated. The Military Stores list notified vide Notification No. 115(RE-2013)/2009-2014 dated 13th March 2015 stands rescinded.

b) A new SCOMET Category 8 titled ‘Special Materials and Related Equipment, Material Processing, Electronics, Computers, Telecommunications, Information Security, Sensors and Lasers, Navigation and Avionics, Marine, Aerospace and Propulsion’ has been added.

c) In SCOMET Category 1B and 1C, amendments have been made. SCOMET Category 1D titled ‘Other Chemicals’ has been added.

d) SCOMET Category 2 has been substituted with amended and new entries.

e) SCOMET Categories 3D001 to 3D005 have been substituted by entries 3D001 to 3D015.

f) Categories 3A201, 3A303, 3A309, 4A003, 4A007, 4A017, 4B006, 5A102, 5A205 have been substituted with amended and new entries.

g) SCOMET Category 7C has been deleted.

4. This notification shall come into force on the 1st of May, 2017.

5. **Effect of this notification:** Annexure to this notification contains the revised ‘Appendix 3’ to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items which will replace the existing Appendix 3. This notification has the effect of carrying out updates to the SCOMET list and defining the licensing jurisdiction for various categories of the SCOMET list.

[F. No. 01/91/171/37/AM10/EC(S)]

AJAY KUMAR BHALLA, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2017.04.29 12:59:37 +05'30'